संख्या–33 / VI-1 / 2005 / 11(स0)2003

प्रेषक,

अनिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

2– जिलाधिकारी,
पौड़ी।

संस्कृति अनुभाग :

देहरादून : दिनांक 29 जनवरी, 2005

विषयः–ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–1252 / सं0नि0उ0 / दो–3 / 2004–05, दिनांक 20 जनवरी, 2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत मन्दिरों के जीर्णोद्धार हेतु कालम–5 में अंकित अवशेष धनराशि रू0 7.13 लाख (रूपये सात लाख तेरह हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों के अधीन तालिका के अनुरूप मन्दिरों / योजनाओं हेतु आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	कार्य का नाम	प्रस्तावित धनराशि	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2004–05 में आहरित की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	महारूद्रेश्वर मन्दिर समूह बलसा, खूँट, अल्मोड़ा	11.09	9.46	2.78
2	लक्ष्मी नारायण मन्दिर, बैरांगना, रूद्रप्रयाग	5.13	4.59	4.35
	कुल योग–	16.22	14.05	7.13

(रूपये सात लाख तेरह हजार मात्र)

2– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी, चम्पावत के निवर्तन पर रखी गई बाणासुर का किला, चम्पावत से सम्पर्क मार्ग के निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण के कार्य प्रतिबन्धित किए जाने के फलस्वरूप बचत धनराशि रू0 22.13 लाख को कम संख्या– 1 से 6 में उल्लिखित योजनाओं हेतु कालम–5 में अंकित धनराशि तथा जिलाधिकारी, पौड़ी के निवर्तन पर रखी गई बसुकेदार मन्दिर समूह, रूद्रप्रयाग व देवलगढ़ मन्दिर समूह, पौड़ी गढ़वाल से सम्पर्क मार्ग के निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण के कार्य प्रतिबन्धित किए जाने के फलस्वरूप बचत धनराशि रू0 11.75 लाख को कम संख्या– 7 से 9 में उल्लिखित योजनाओं हेतु कालम–5 में अंकित धनराशि अर्थात कुल बचत धनराशि 33.88 लाख (रूपये तैंतीस लाख अट्ठासी हजार मात्र) को व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित योजनाओं हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख रू0 में)

क0 सं0	कार्य का नाम	प्रस्तावित धनराशि	टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2003–04 में आहरित की गई धनराशि जो कि जिलाधिकारी, चम्पावत / पौड़ी के निवर्तन में रखी गयी है में से वित्तीय वर्ष 2004–05 में व्यय की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1	प्राचीन समाधेया फुगर, चम्पावत	10.79	9.70	9.70
2	प्राचीन शिव मन्दिर, चैकुनी, चम्पावत	2.72	1.97	1.97
3	शिव मन्दिर, नादबोरा, चम्पावत	2.06	1.75	1.75
4	शिव मन्दिर, खर्क कार्की सैट्यूड़ा, चम्पावत	1.89	1.60	1.60
5	शिव मन्दिर तल्ली मादली, चम्पावत	0.56	0.43	0.43
6	महारूद्रेश्वर मन्दिर समूह बलसा, खूँट, अल्मोड़ा	11.09	9.46	6.68
7	लक्ष्मी नारायण मन्दिर, बैरांगना, रूद्रप्रयाग	5.13	4.59	0.24
8	शिवालय दांदणी, खिर्सू, पौड़ी गढ़वाल	9.40	9.11	9.11
9	रगेश्वर महादेव, कंडारा, रूद्रप्रयाग	4.44	3.96	2.40
	कुल योग–	48.08	42.57	33.88

(रूपये तैंतीस लाख अट्ठासी हजार मात्र)

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववैता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

7–(1) आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेश में निहित निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3– यदि स्वीकृत राशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृत प्राप्त करनी होगी, स्वीकृत राशि से अधिक कदापि व्यय न किया जाय।

4– जिलाधिकारी, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने नियर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 6.68 लाख को जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को महारूद्रेश्वर मन्दिर समूह बलसा, खूँट, अल्मोड़ा के जीर्णोद्धार हेतु हस्तान्तरित करने का कष्ट करें।

5– वित्तीय वर्ष 2004–05 में जिलाधिकारी, अल्मोड़ा रू0 2.78 लाख का तथा जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल रू0 4.35 लाख का आहरण सम्बन्धित कोषागार से करेंगे।

6– उपरोक्त आहरित की जाने वाली धनराशि रू0 7.13 लाख (रू0 सात लाख तेरह हजार मात्र) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–104–अभिलेखागार–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0101–ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान (पुरातत्वसंरक्षण)–25–लघु निर्माण कार्य के आयोजनागत पक्ष के मानक मद के नामें डाला जायेगा।

7– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र सं0–1422/वित्त अनुभाग–2/2005 दिनांक 29 जनवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– VI-I/2005–11(सं0)2003, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2– निदेशक संस्कृति निदेशालय, देहरादून।
3– क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, अल्मोडा/पौड़ी।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा/पौड़ी।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय परिसर।
6– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, अल्मोड़ा।
7– प्रबन्ध निदेशक, कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0, नैनीताल।
8– जिलाधिकारी, चम्पावत।
9– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।